न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2019 (GCMS 2019/00120)	08.07.2019	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

बंशीलाल उपाध्याय पुत्र नाथुराम (विक्रेता/मालिक) (मो0नं0– 9772471130) फर्म काका होटल, मुनि निवास के ऊपर, बस स्टेण्ड चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, स्थाई निवास :– मु0पो0 पिण्डावल. तहसील साबला जिला डुंगरपुर (राज.)।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2019 को समय 03.50 पी.एम. पर फर्म काका होटल, मुनि निवास के ऊपर, बस स्टेण्ड चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां पर बंशीलाल उपाध्याय पुत्र नाथुराम (विक्रेता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ दही (टोण्ड दूध से निर्मित) व दूध,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाय, नाश्ता व भोजन आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। विक्रेता ने बताया कि उक्त दही टोण्ड दूध से निर्मित है। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर कुल 6 किलोग्राम दही स्टील के भगोनी में फ्रिज में विक्रय हेतु रखा पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार बार आग्रह किया गया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गयी। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर विक्रेता द्वारा उक्त फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया जो कि संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दही में 1 किलोग्राम दही (स्टील की भगोनी में रखे दही में वर्टिकल कट लगाकर 4 भाग कर 1 भाग को साफ सुथरे व खाली जग में लेकर अच्छी तरह मथ कर एक रूप कर सामान्य तापक्रम पर लाकर 1 किलोग्राम दही जांच हेतु) साफ सुखी व खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 50/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो मे (प्रत्येक भाग में 250 ग्राम दही) बॉट कर अलग–अलग कांच के जारों में रख कर प्रत्येक जार में 20 बूंदे फॉर्मलीन की बतौर प्रिजरवेटीव डाल कर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बंद किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक. फार्मलीन की मात्रा आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1023** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे ननूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/1315 दिनांक 11.04.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब–स्टैन्डर्ड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1315 दिनांक 11.04.2019 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2028 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणो पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब कराया जा सके। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन श्रीमान को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 19.09.2019 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया एवं जवाब परिवाद प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थी ने बताया कि हम छोटे गरीब व्यवसायी है जो अपनी दैनिक आजीविका उपार्जन हेतु इस छोटी से भोजनालय पर निर्भर है। इससे परिवार के 10–15 लोगों का भरण पोषण होता है। हमारी भोजनालय का परिसर भी किराया भवन में संचालित है। हम ग्राहकों को पूर्णतया शुद्ध भोजन उपलब्ध करवातें है। विगत कई वर्षो में हमारी एक भी शिकायत नहीं है। हमारा भोजन गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध है। तथापि आप द्वारा लिए गए दही के नमूनें में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। केवल ठोस एवं तरल भाग में थोडा सो विचलन बताया गया है। दही जमाना एक मानवीय प्रक्रिया है। दही का जमना या ढीला रहना की मौसम, वातावरण का तापमान, फ्रिज का लाईट के अनुसार बंद होना/चालु होना आदि सब बातों पर निर्भर करता है। घर में भी दही जमानें पर कई बार पानी और ठोस की मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है। यह एक मानवीय भूल भी हो सकती है। अतः महोदय से निवेदन है कि यह हमारी प्रथम भूल समझ कर बिना किसी दण्ड दिए माफ करने की कृपा करावें। उपरोक्तानुसार हमारी इसमें कोई गलती नहीं और नहीं हमारी कोई मंशा है। हम आश्वस्त करते है कि भविष्य में भी हम सरकार के मानकों एवं गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखेंगें। आपसे अनुरोध है कि हमारें द्वारा पूर्व प्रस्तुत जवाब को स्वीकार करते हुए हमें इस प्रकरण से मुक्त करें। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है।

दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रखा गया एवं पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 19.02.2019 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से रिपोर्ट संख्या **LS 116/Act/2019/131** दिनांक 19.03.2019 प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है, एवं प्रकरण की भी किसी प्रकार से अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हमने खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 116 / Act/2019/ 131
Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 or 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Dahi (Prepared from toned Milk) bearing code no, and serial no. AM-1023 of Designated officer of District Chittorgarh on 20.02.2019 for analysis
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No. 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum in sealed envelope.
I found the sample to be Dairy products and analogues falling under Regulation No. 2.1.13(2)(c)(iii) Dahi from toned milk of Food Safety and Standards (food products standards and food additives Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 06.03.2019to 19.03.2019 and the result of its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT
(i)Sample description:- The Sample contained in a wide mouth PP bottle.
(ii)Physical appearance:- White in color, homogeneous viscous in appearance.
(iii) Label :-- Loose sample of Dahi as per Form no. VI. CLASS OF MILK IS TONED MILK GIVEN SO STANDARDS PRESCRIBED FOR DAHI PREPARED FROM TONED MILK ARE USED.
Opinion:- The sample of Dahi (Prepared from toned Milk) Bearing code no. and serial no. AM-1023 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh Is sub-standard as Milk Fat & Milk Solids not fat are does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-1023** उक्त खाद्य खाद्य दही (टोण्ड दूध से निर्मित) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को सब स्टेन्डर्ड दही (टोण्ड दूध से निर्मित) का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी बंशीलाल उपाध्याय पुत्र नाथुराम (विक्रेता/मालिक) (मो0नं0– 9772471130) फर्म काका होटल, मुनि निवास के ऊपर, बस स्टेण्ड चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, स्थाई निवास :– मु0पो0 पिण्डावल. तहसील साबला जिला डुंगरपुर (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री बंशीलाल उपाध्याय पुत्र नाथुराम (विक्रेता/मालिक) (मो0नं0– 9772471130) फर्म काका होटल, मुनि निवास के ऊपर, बस स्टेण्ड चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, स्थाई निवास :– मु0पो0 पिण्डावल. तहसील साबला जिला डुंगरपुर (राज.) को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त बंशीलाल उपाध्याय पुत्र नाथुराम (विक्रेता/मालिक) (मो0नं0– 9772471130) फर्म काका होटल, मुनि निवास के ऊपर, बस स्टेण्ड चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, स्थाई निवास :– मु0पो0 पिण्डावल. तहसील साबला जिला डुंगरपुर (राज.) को 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:00 IST
Reason: SelfAttested